रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252956
CG-DL-E-14032024-252956

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1201] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945
No. 1201] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

[दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ. 1263(अ).—सेवाओं या लाभों या सब्सिडी प्रदान करने के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार का उपयोग सरकारी सेवाओं को प्रदान करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और किसी को अपनी पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से अपने अधिकार सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाता है;

और भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) नामक केंद्रीय क्षेत्रक योजना चला रहा है जिससे दिव्यांगजनों को समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण का सृजन किया जा सके इस योजना को स्वैच्छिक संगठन या गैर-सरकारी संगठनों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन एजेंसियां कहा गया है) के माध्यम से लागू किया जा रहा है ।

और जबकि, इस स्कीम के अधीन, मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांगजनों (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभार्थी कहा गया है) को विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं जिसमें विशेष शिक्षा, प्रारंभिक हस्तक्षेप, हाफ - वे होम आदि (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभ कहा गया है) शामिल हैं।

और इस स्कीम में आवर्ती व्यय शामिल हैं जिसे भारत की संचित निधि से व्यय किया जाता है;

और इस विभाग ने पूर्व में तारीख 31 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या 22-33 (02)/2017-डीडी-II/V के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के लिए एक पहचान पत्र के रूप में आधार को अधिसूचित किया था;

अत: तारीख 31 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं का.आ. 1135 (अ) [एफ. संख्या 22-33(02)/20170-डीडी-II/V] के अधिक्रमण में और आधार (वित्तीय और सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्-

1. (क) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति को एतद्द्वारा अपनी आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा या आधार प्रमाणीकरण कराना होगा;

(ख) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक ऐसे किसी भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को इस योजना के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) जाएगा;

(ग) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान अर्थात :

परन्तु जब तक ऐसे व्यक्ति को आधार नहीं सौंपा जाता है, तब तक इस स्कीम के आधीन ऐसे व्यक्ति को लाभ दिए जाएंगे, जो निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत होने के अधीन होंगे, अर्थात् :-

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात् :-

(i) फोटो के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के आधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी ऐसे व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र; या

(x) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु उपरोक्त दस्तावेजों को उस उद्देश्य के लिए विभाग द्वारा विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जांचा जा सकता है।

2. इस स्कीम के आधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से लाभ प्रदान करने के लिए, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि लाभार्थियों को स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. उन सभी मामलों में, जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्: –

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे (फेस) के प्रमाणीकरण सुविधा को अपनाया जाएगा, और विभाग, अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से, निर्बाध तरीके से लाभ प्रदान करने के लिए फिंगर-प्रिंट प्रमाणीकरण के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरे (फेस) के प्रमाणीकरण के लिए उपबंध करेगा;

(ख) यदि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या चेहरे (फेस) के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है, तो, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा प्रमाणीकरण, जैसा भी मामला हो, किए जाएंगे;

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन वास्तविक (फिजिकल) आधार पत्र के आधार पर लाभ दिए जा सकते हैं, जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और विभाग द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस स्कीम के अधीन के तहत कोई भी ईमानदार लाभार्थी अपने देय लाभों से वंचित न हो, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से, 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी में यथा विनिर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन (एक्सेप्शन हैंडलिंग) तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी ।

[सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

S.O. 1263(E).— Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one’s identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as the Department) in the Government of India is administeringa Central Sector Scheme namely Deendayal Divyangjan Rehabilitation Scheme (DDRS)(hereinafter referred to as the Scheme) to create an enabling environment to ensure equal opportunities, equity, social justice and empowerment of persons with disabilities, and encourage voluntary action for ensuring effective implementation of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, which is being implemented through Voluntary Organisation or Non-Government Organisations (hereinafter referred to as to the implementing agencies).

And whereas,under the scheme, variety of services include special education, early intervention, half way homes etc. (hereinafter referred to as benefits) is given to the persons with disabilities (hereinafter referred to the beneficiaries), as per the extant Schemes guidelines;

And whereas, the Scheme involve recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas, this Department had earlier notified Aadhaar as an identity document for Deendayal Divyangjan Rehabilitation Scheme (DDRS), for Persons with Disabilities vide Notification No. 22-33(02)/2017-DD-II/V dated 31st March, 2017;

Now, therefore, in supersession of Notification No. S.O. 1135 (E) dated 31st March, 2017 [F. No. 22-33(02)/20170-DD-II/V] and in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies, the following, namely:-

1. (a) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;

(b) any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individual shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;

(c) as per the regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :–

a. if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

b. any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided, further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory.

[No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.03.14 00:02:09 +05'30'